फार्म–ए

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0), डीडीहाट जिला–पिथौरागढ़। उपस्थित :– गुलिस्तां अंजुम...........................उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा। **निर्णय की तिथि–23.06.2026** फौजदारी वाद संख्या–230/2022 सी0एन0आर0 संख्या–UKPI060003322022 धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019 मुकदमा अपराध संख्या–08/2021 थाना–जौलजीबी, जिला पिथौरागढ़।	
शिकायतकर्ता	उत्तराखण्ड राज्य
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी/नामित अधिवक्ता	श्री रितेश मिश्रा
अभियुक्त	नरेश सिंह दताल पुत्र नन्दन सिंह दताल निवासी–ग्राम खेड़ा थाना जौलजीबी, जिला पिथौरागढ़।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री राजेन्द्र सिंह पांगती

फार्म– बी

अपराध का दिनांक	02.10.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	02.10.2021
आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक	14.12.2021
आरोप अंकित करने का दिनांक	18.10.2023
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	25.11.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	30.05.2026
निर्णय का दिनांक	23.06.2026
सजा सुनाये जाने का दिनांक	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा की अवधि	जेल में बितायी गयी अवधि
1.	नरेश सिंह दताल पुत्र नन्दन सिंह दताल	01.08.2022	01.08.2022	धारा60उ0प्र0 आब0 अधि0, 1910(उत्तराखण्ड आब0 संशोधन अधि0), 2019	दोषमुक्त	—	—

:: निर्णय ::

अभियुक्त **नरेश सिंह दताल** के विरूद्ध थाना–जौलजीबी जिला–पिथौरागढ के विवेचक द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019 के तहत विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(2) संक्षेप में अभियोजन के कथन हैं कि–*दिनांक 02.10.2021 को मैं एसओ अशोक धनकड़ मय हमराही कानि0 80 सीपी हरीश सिंह मय एसआई श्री जावेद हसन एसओजी टीम जनपद पिथौरागढ मय कानि0 178 सीपी मनमोहन भण्डारी एसओजी पिथौरागढ व कानि0 116 राजकुमार एसओजी टीम पिथौरागढ़ व कानि0 153 सीपी गोविन्द रौतेला मय वाहन सरकारी यूके 05 जीए 0119 बुलैरो एसओजी टीम व वाहन संख्या यूके 05 जीए 0087 बुलैरो थाना जौलजीबी चालक 09 सीपी मोहन पाण्डे के थाना जौलजीबी से बाहवाले रफट नम्बर 15 समय 12:40 बजे रो0आम पर रवाना होकर कस्बा जौलजीबी में भारतीय स्टेट बैंक के पास पहुचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना दी गयी कि जौलजीबी बाजार से लगभग 200 मीटर गौरी पुल की तरफ जंग स्नैक्स कार्नर का मालिक/संचालक नरेश सिंह दताल पुत्र श्री नन्दन सिंह अवैध शराब बेचता है। जिसने अपनी बराबर वाली दुकान में*

शराब छिपा रखी है। इस सूचना पर विश्वास कर मै, एसओ मय हमराही पुलिस बल उपारोक्त के मुखबिर द्वारा बतायी गयी दुकान रैस्टोरेंट जंग स्नैक्स कार्नर पर पहुचे जहां पर काउंटर पर एक व्यक्ति मौजूद मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम नरेश सिंह दताल पुत्र स्व0 नन्दन सिंह दताल निवासी खेड़ा थाना जौलजीबी जनपद पिथौरागढ उम्र 36 वर्ष बताया तथा अपने रैस्टोरेंट की उत्तर दिशा मे स्थित दुकान के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह दुकान मेरे कब्जे मे है तथा इसमें कुछ दिन पूर्व शराब का ठेका चलता था जो आजकल जौलजीबी बाजार में चला गया है। उसी शराब भटटी का उपगोदाम इस दुकान में चलता है। उक्त दुकान को खुलवाकर (नरेश सिंह दताल उपरोक्त से खुलवाकर) चैक किया गया तो दुकान के अन्दर वाले भाग से अंग्रेजी शराब की कुल 18 पेटिया रखी है। जिन पर 8 PM Bermunda xxx Rum लिखा है। जिनमें से 16 पेटियो में बोतले (कुल 192 बोतल) तथा 02 पेटियों में (48 अध्धे) मौजूद है। इतनी अधिक मात्रा मे अंग्रेजी शराब रखने का कारण पूछा तो बताया कि साहब यह जौलजीबी में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का गोदाम है। इस बाबत नरेश सिंह दताल उपरोक्त से गोदाम सम्बन्धी लाईस. ेंस/अनुज्ञा पत्र तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा तथा इतनी अधिक मात्रा मे अंग्रेजी शराब रखने सम्बन्धी कोई वैध प्रपत्र भी नहीं दिखा सका है। इस प्रकार नरेश सिंह दताल उपरोक्त के कब्जे से बरामद कुल 18 पेटी (16 पेटी 8 PM Bermunda xxx Rum कुल 192 बोतल व 02 पेटी 8 PM Bermunda xxx Rum कुल 48 अध्धे) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुयी है। जिनमें से 11 पेटियों पर B N0.32 APR-21, 04 पेटियों पर B N0. 102 JUN-21, 02 पेटियों पर B N0.23 APR-21, 01 पेटी पर B N0.17 APR-21,अंकित है। इस प्रकार नरेश सिंह दताल उपरोक्त द्वारा अपने कब्जे मे इतनी अधिक मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब रखना धारा 60 आबकारी अधिनियम का अपराध है तथा नरेश सिंह दताल उपरोक्त द्वारा पुनः अपराध करने तथा फरार होने की प्रबल सम्भावना है तथा इसका नाम पता भी तस्दीक नही है। अतः हस्व कायदा कारण गिरफतारी बताकर मा0 मानवाधिकार आयोग तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा समय 2 पर जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुए अभियुक्त नरेश सिंह दताल उपरोक्त को समय करीब 13:45 बजे गिरफतार किया गया तथा इसके कब्जो से बरामद 18 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मे से 02 बोतल तथा 04 अध्धे बतौरा नमूना अलग कर नारंगी रंग के थैले मे रखकर सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया तथा शेष 190 बोतलो को तथा 44 अध्धो को उन्हीं गत्ते की पेटियों में रखकर जूट की रस्सी से बांधकर सील किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया। रास्ते में आने जाने वाले लोगो से गवाही हेतु कहा गया

लेकिन भलाई बुराई का वास्ता देकर कोई तैयार नही हुआ तथा बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द मौके पर मुझ एसओ द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहन करायी जा रही है। अभियुक्त की गिरफतारी की सूचना थाने पर जाकर इसके परिजनो को अलग से भिजवायी जायेगी।

(3) विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त नरेश सिंह दताल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तदनुसार अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त को धारा–207 दं0प्र0सं0–1973 के अनुपालन में नकलें प्रदान की गयी। तत्पश्चात अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019 में धारा–251 दं0प्र0सं0–1973 के अनुसार अभियोग का सारांश पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया तथा विचारण की मांगी की गयी।

(4) अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श– पी01, फर्द बरामदगी प्रदर्श–पी02, नकल रपट प्रदर्श पी–03, गिरफतारी मैमो प्रदर्श–पी04, नमूना मोहर प्रदर्श–पी05, नमूना मोहर प्रदर्श–पी06, जांच रिपोर्ट प्रदर्श–पी07, नक्शा नजरी प्रदर्श–पी08, आरोप पत्र प्रदर्श–पी09, रिपोर्ट कोतवाली जौलजीबी प्रदर्श–पी0 10 आदि दस्तावेज दाखिल किये गये।

(5) अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 निरीक्षक अशोक धनकड़, पी0डब्ल्यू0–2 कॉ0 07 ए0पी0 गोविन्द रौतेला, पी0डब्ल्यू0–3 उप निरीक्षक जावेद हसन, पी0डब्ल्यू0–4 जगत सिंह, पी0डब्ल्यू0–5 अर्जुन सिंह को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया।

(6) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त नरेश सिह दताल के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण कथन को गलत बताया तथा कथन किया गया कि मैं निर्दोष हूँ तथा मुझे झूठा फंसाया गया है।

(7) (i) न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश मिश्रा एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह पांगती की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व दस्तावेजो तथा साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

(ii) दौराने बहस राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि–अभियोजन द्वारा मामले में कुल 05 गवाह परीक्षित कराये गये है। उक्त सभी गवाह अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन करते है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बरामद माल का कब्जाधारी था। सम्बन्धित पुलिस द्वारा माल के सम्बन्ध में अभियुक्त से लाईसेंस तलब करने पर अभियुक्त द्वारा लाईसेंस नहीं दिखाया गया। नमूना माल दौराने गवाही अभियोजन द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कठोर दंड से दंडित किये जाने की याचना की गयी।

(iii) दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह पांगती द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि–प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को बिना किसी आधार के फसाया गया है। अभियुक्त ना तो सम्बन्धित दुकान का लाईसेंसधारी है तथा ना ही कब्जाधारी है। घटना के दिन लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को अपनी दुकान की चाबी कुछ समय के लिए सौपी गयी थी। अभियोजन द्वारा मामले में जो भी गवाह परीक्षित कराये गये है वह पुलिसकर्मीगण है। कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा मामले में परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा जो भी गवाह परीक्षित कराये गये है। उनके कथनो में विरोधाभास है। सम्बन्धित पुलिसकर्मीगण द्वारा धारा 52, 53 आबकारी अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। जबकि उक्त धाराओ का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगे अभियोग को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। जहा तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में पूर्व आपराधिक इतिहास किये जाने का कथन किया कि किसी भी पूर्व मामले में अभियुक्त की जुर्मइकबाल किये जाने से किसी अन्य मामले मे उक्त जुर्मइकबाल प्रभावी नहीं हो जाता क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती है। अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

(8) अभियुक्त द्वारा धारा–437क द0प्र0सं0 1973 के अनुपालन में बन्धपत्र प्रस्तुत किये गये।

निष्कर्ष

(9) अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना अनिवार्य है जो इस प्रकार है–

(i) **क्या दिनांक 02.10.2021 को समय 13:45 बजे, स्थान दुकान व रेस्टोरेन्ट जंग स्नैक्स कॉर्नर, कस्बा जौलजीबी, थाना जौलजीबी, जिला पिथौरागढ में पुलिस द्वारा आपके कब्जे से 18 पेटी (192 बोतल तथा 48 अध्धे) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गयी, जिसे रखने की आपके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। जो कि धारा–60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है?**

(10) अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू0–01	निरीक्षक अशोक धनकड़	वादी
पी0डब्ल्यू0–02	कॉ0 07 ए0पी0 गोविन्द रौतेला	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू0–03	उप निरीक्षक जावेद हसन	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू0–04	जगत सिंह	तनकी परीक्षणकर्ता
पी0डब्ल्यू0–05	अर्जुन सिंह	विवेचक

(11) अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत की गये–

कमांक	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श–पी0 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श–पी0 2	फर्द बरामदगी
03	प्रदर्श–पी0 3	नकल रपट
04	प्रदर्श–पी0 4	गिरफतारी मैमो
05	प्रदर्श–पी0 5	नमूना मोहर
06	प्रदर्श–पी0 6	नमूना मोहर

07	प्रदर्श—पी0 7	जांच रिपोर्ट
08	प्रदर्श—पी0 8	नक्शा नजरी
09	प्रदर्श—पी0 9	आरोप पत्र
10	प्रदर्श—पी0 10	रिपोर्ट कोतवाली जौलजीबी

(12) अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त अभियोग को साबित करने हेतु 05 साक्षी परीक्षित कराये गये—

(i) **पी0डब्ल्यू0—1 निरीक्षक अशोक कुमार धनकड़ द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा सशपथ कथन किया गया है कि**— *दिनांक 02.10.2021 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना जौलजीबी जनपद पिथौरागढ़ में नियुक्त था। इस दिन मैं तथा एस0आई0 श्री जावेद हसन एस0आ.ॅ0जी0 पिथौरागढ,का0 हरीश थाना जौलजीबी, का0 मनमोहन भण्डारी एस0ओ0जी0 पिथौरागढ, का0 राजकुमार एस0ओ0जी0 पिथौरागढ़, का0 मोहन पाण्डे थाना जौलजीबी, का0 गोविन्द एस0ओ0जी0 पिथौरागढ, आदि मय सरकारी वाहन थाना जौलजीबी व एस0ओ0जी0 के थाना जौलजीबी से रपट नम्बर—15 समय 12:40 बजे रवाना होकर जौलजीबी बाजार में आये एस0बी0आई0 जौलजीबी के पास मुखबिर ने बताया कि नरेश दताल पुत्र नन्दन सिंह दताल निवासी खेड़ा जौलजीबी अवैध शराब की बिकी करता है और उसने बहुत मात्रा में शराब अपने रेस्टोरेंट के बगल वाली दुकान में छिपा कर रखी है। इस सूचना पर विश्वास कर हम उपरोक्त सभी पुलिसगण मय वाहन के नरेश दताल उपरोक्त के रेस्टोरेंट जो लगभग जौलजीबी बाजार से 200 मिटर गोरी नदी के पुल की तरफ है पर आये तो नरेश दताल उपरोक्त अपने रेस्टोरेंट के काउण्टर पर मिला जिससे नाम पता पूछने पर उपरोक्त नाम पते की पुष्टि की तथा उसके रेस्टोरेंट के उत्तर दिशा में गोरी नदी पुल की तरफ स्थित दुकान के बारे में पूछा तो उसने बताया यह दुकान मेरे कब्जे में है। जिसे नरेश दताल उपरोक्त द्वारा खुलवाकर चैक किया तो इसके अन्दर कुल 18 गत्ते की पेटिया जिनपर बरमू.ण्डा XXX रम लिखा हुआ था। उक्त पेटियो को खेलकर चैक किया गया तो 16 पेटी के अन्दर कुल 192 बरमूण्डा XXX रम तथा 2 पेटियो के अन्दर कुल 48 अध्धे XXX रम शराब के बरामद हुए। जिसके बारे में पूछने पर नरेश दताल उपरोक्त ने बताया कि इस दुकान में पहले अंग्रेजी शराब की सरकारी दुकान चलती थी जो आजकल जौलजीबी बाजार में सिफ्‌ट हो गयी है अब इस दुकान में उक्त सरकारी दुकान का उपगोदाम बना रखा है। उक्त गोदाम की अनुज्ञपति/लाईसेंस/अनुमति तलब की तो नहीं दिखा पाया तथा इतनी अधिक मात्रा में*

अवैध अंग्रेजी शराब को अपने कब्जे में रखने का लाईसेंस/ प्रपत्र आदि तलब किया तो वह भी नहीं दिखा पाया। इस प्रकार नरेश दताल उपरोक्त के कब्जे से 18 पेटी (192 बोतल व 48 अध्धे) बरमूण्डा XXX रम अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। चूंकि अभियुक्त नरेश दताल उपरोक्त के फरार होने पुनः अपराध करने तथा नाम पता तस्दीक ना होने के कारण समय करीब 13:45 बजे हस्वकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया तथा इसके कब्जे से बरामद कुल 18 पेटीयो में से 16 पेटी में उपलब्ध बोतलो में से दो बोतल तथा 2 पेटीयो में उपलब्ध अध्धो में से चार अध्धे बतौर नमूना माल अलग किये गये। नमूना माल को एक नारंगी रंग के थैले में रखकर बाहर से सफेद कपड़े में सिलकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा गत्ते की पेटियो में से 190 बोतल व 44 अध्धो को उन्हीं गत्ते की पेटीयो में रखकर बाहर से सूतली से बांध कर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर मुझ एस0ओ0 द्वारा लिखकर, पढ़कर, सुनाकर गवाही गवाहन करायी गयी। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो में से स्वतंत्र जनता के गवाह बनाने का प्रयास किया लेकिन भलाई–बुराई की वजह बताकर कोई तैयार नहीं हुआ तथा अपने गनतव्य को चले गये। फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त नरेश दताल उपरोक्त को देकर फर्द पर उसके हस्ताक्षर कराये गये। इसके अतिरिक्त माल व नमूना मोहर पर भी, नमूना माल पर भी अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद हम सब पुलिस वाले मय माल मुल्जिमान के थाना जौलजीबी पर आये तथा अभियोग पंजीकृत कराया। अभियुक्त के गिरफतारी की सूचना जरिये उचित माध्यम उसके परिजन/रिश्तेदार को दी गयी। पत्रावली में कागज संख्या–3क/1 चिक एफ0आई0आर0 जो कि कॉ0 03 सी0पी0 नन्द किशोर के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। कॉ0 03 सी0पी0 नन्द किशोर मेरे साथ कार्य कर चुके है जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली भांति जानता हूँ। जिसके वाई स्थान पर उनके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी1 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–3क/3 फर्द बरामदगी मय गिरफतारी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसके एक्स व एक्स1 स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी2 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4 क/5 रोजनामचा, नकल रपट की सत्यापित कार्बन प्रति जो कि कॉ0 03 सी0पी0 नन्द किशोर के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। कॉ0 03 सी0पी0 नन्द किशोर मेरे साथ कार्य कर चुके है जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली भांति जानता हूँ। जिसके वाई स्थान पर उनके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी3 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज

संख्या–4क/6 गिरफतारी/सूचना मैमो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसके एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी 4 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4क/14 नमूना मोहर माल मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसके एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी5 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4 क/15 नमूना मोहर (नमूना माल) मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसके एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी 6 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4क/19 नमूना मोहर (नमूना माल) मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसके एक्स स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। आज न्यायालय की अनुमति से नमूना माल खोला गया। नमूना माल में 2 बोतल व 4 अध्धे बरमूण्डा XXX रम के है। गवाह द्वारा बताया गया कि यह वही नमूना माल है जो अभियुक्त से बरामदा माल से तनकी परीक्षण हेतु लिया गया था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–एम0ओ 01 डाला गया। शेष माल न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2022 के अनुक्रम में अवमुक्त किया जा चुका है।

दौराने जिरह उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि– *बरामद माल के फर्द में माल का बैच नम्बर अंकित है। बरामद माल अलग–अलग बैच नम्बर का था। नमूना माल एक ही बैच नम्बर का निकाला था अलग–अलग बैच नम्बर का नहीं निकाला था। खुद कहा कि एक ही बैच नम्बर का निकाला गया। माननीय न्यायालय से माल अवमुक्त हेतु दिनांक 16.02.2022 को आदेश हुआ था या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं वहां से स्थाननान्तरित हो चुका था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि जहां से माल बरामद हुआ उसका भवन स्वामी कौन था। स्वयं कहा कि नरेश दताल ने अपने को कब्जेदार बताया था। मुझे नहीं पता है कि जहां से माल बरामद हुआ उसका भवन स्वामी राजू दताल हो। यह कहना गलत है कि मुझे व अन्य पुलिसगणो को मौके पर यह बता दिया हो कि अनुज्ञापी के द्वारा राजू दताल के भवन को उपगोदाम के रूप में किये जाने हेतु 25.09.2021 को अनुज्ञापी के द्वारा तीस हजार रूपये की राशि जमा की हो। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपरोक्त स्थान को विदेशी मदिरा की दुकान के उपगोदम हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु तत्समय कार्यरत आबकारी निरीक्षक द्वारा चौहदी को सत्यापित किया गया हो। स्वयं कहा कि मुझे मौके पर बताया गया था कि उपरोक्त जगह पर पूर्व में अंग्रेजी शराब की दुकान थी और अब इसे उपगोदाम के रूप में उपयोग लाया जा रहा है। यह कहना गलत है कि मौके पर हमे बता दिया गया हो कि बरामद माल वैध है और एफ0एल0 2 गोदाम से लाया गया*

था। यह कहना सही है कि मौके पर जौलजीबी अंग्रेजी शराब की दुकान के अनुज्ञापी को नहीं बुलाया गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि कुंवर सिंह अन्ना पुत्र श्री मान सिंह अन्ना उस समय जौलजीबी अंग्रेजी शराब की दुकान के अनुज्ञापी हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्त नरेश सिंह दताल से कोई बरामदगी ना हुई हो। मैंने फर्द कागज संख्या–3क/3 में यह लिखा है कि "कुछ दिन पूर्व शराब का ठेका चलता था, जो आजकल जौलजीबी बा. जार में चला गया है उसी शराब भट्टी का उपगोदाम इस दुकान में चलता है।" मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी अंग्रेजी शराब का गोदाम/उपगोदाम का अनुज्ञापत्र/लाईसेंस अंग्रेजी शराब की दुकान के अनुज्ञापी के पास होता है या भवन स्वामी के पास होता है। मेरे सम्मुख आज सम्पूर्ण बरामदा माल नहीं है इसलिए मैं फर्द में लिखे हुए सम्पूर्ण माल का बैच नम्बर मिलान नहीं कर सकता हूँ। स्वयं कहा कि नमूना माल का मिलान मैं फर्द के बैच नम्बर से कर सकता हूँ। मैं यह नहीं बता सकता कि एक बैच नम्बर में कितना माल बनता है। फर्द में माल का बनने का दिनांक नहीं लिखा है माह और वर्ष लिखा हुआ है। एफ0आई0आर0 फर्द लिखने के बाद ही लिखी थी। मौके पर एक घण्टा चालीस मिनट रूके थे। यह कहना गलत है कि घटना के दिन माल के वैध होने के उप. रान्त भी मैंने गलत कार्यवाही की हो।

(ii) **पी0डब्ल्यू0–2 कॉ0 07 ए0पी0 गोविन्द रौतेला द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा सशपथ कथन किया गया है कि**– *दिनांक 02.10.2021 को मैं और एस0ओ0जी0 पिथौरागढ़ की टीम में एस0आई0 जावेद हसन, का0 सी0पी0 मनमोहन भण्डारी, का0 राजकुमार रावत मय सरकारी वाहन में कोतवाली जौलजीबी आये तथा वहां से कोतवाली प्रभारी जौलजीबी अशोक धनकड़, का0 हरीश सिंह तथा का0 चालक मोहन पाण्डेय के साथ बाहवाले रपट नम्बर–15 समय 12:40 रवाना होकर कस्बा जौलजीबी में भारतीय स्टेट बैंक के पास पहुंचे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जौलजीबी बाजार से लगभग 200 मीटर गोरीपुल की तरफ जंग स्नैक्स कॉर्नर का मालिक/संचालक नरेश सिंह दताल पुत्र नन्दन सिंह दताल निवासी खेड़ा जौलजीबी अवैध शराब की बिक्री करता है और उसने बहुत मात्रा में शराब अपने रेस्टोरेंट के बगल वाली दुकान में छुपा के रखा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम उपरोक्त सभी पुलिसकर्मगण मय वाहन के नरेश दताल उपरोक्त के रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो उपरोक्त रेस्टोरेंट के काउण्टर पर एक व्यक्ति बैठा था जिससे नाम पता पूछने पर उपरोक्त नरेश दताल नामक पुष्टि हुई की यह नरेश दताल ही है तथा उसके उपरान्त उसके रेस्टोरेंट के उत्तर दिशा में गोरीनदी पुल की ओर स्थित एक दुकान के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि यह दुकान उसके ही कब्जे में है जिससे नरेश दताल*

उपरोक्त द्वारा खुलवाकर चैक किया तो दुकान के अन्दर 18 पेटी अंग्रेजी शराब रखी है, जिसपर 8 पी0एम0 बरमूण्डा XXX रम लिखा है। उक्त 18 पेटियो को चैक करने पर 16 पेटियो में कुल 192 बोतल तथा दो पेटियो में 48 अध्धे मौजूद थे। इतनी अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब रखने का कारण पूछा गया तो उक्त नरेश दताल द्वारा बताया गया कि इस दुकान में पहले अंग्रेजी शराब की सरकारी दुकान चलती थी जो आजकल जौलजीबी बाजार में सिफ्ट हो गयी है तथा इस दुकान में उक्त सरकारी दुकान का उपगोदाम बना रखा है। उक्त उपगोदाम की अनुज्ञप्ति/लाईसेंस/अनुमति तलब की गयी तो वह नहीं दिखा पाया तथा इतनी अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब को अपने कब्जे मे रखने का लाईसेंस/प्रपत्र आदि तलब किया गया तो वह भी नहीं दिखा पाया। अभियुक्त को उसके जुर्म जरायम से अवगत कराकर धारा 60 आबकारी अधिनियम से अवगत कराकर हस्वकायदा हिरासत पुलिस समय 13:45 बजे लिया गया तथा उसके कब्जे से बरामद कुल 18 पेटियो में से 16 पेटियो में उपलब्ध पेटियो में से दो बोतल तथा दो पेटियो में उपलब्ध अध्धो में से चार अध्धे नमूना माल अलग किये गये। नमूना माल को एक थैले में रखकर बाहर से सफेद कपड़े में सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा गत्ते की पेटियो में शेष माल को उन्हीं गत्ते की पेटियो में रखकर बाहर से सुतली से बांधकर सील सर्वे मोहर किया गया। आने जाने वाले लोगो से गवाही के लिए कहा तो भलाई–बुराई का वास्ता देकर बिना पता बताये ही चले गये। फर्द व अन्य कागजात मौके पर एस0ओ0 अशोक धनकड़ द्वारा मौके पर ही लिखी गयी। बरामदा माल व अभियुक्त को थाने ले जाकर आगे की कार्यवाही की गयी। पत्रावली में कागज संख्या–3क/3 फर्द बरामदगी जिसके वाई स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी02 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/6 गिरफतारी सूचना मैमो जो कि एस0ओ0 अशोक धनकड़ के हस्तलेख में है। जिसके वाई स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी04 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/14 नमूना माल मोहर जो कि एस0ओ0 अशोक धनकड़ के हस्तलेख में है। जिसके वाई स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी05 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/15 नमूना मोहर नमूना माल जो कि एस0ओ0 अशोक धनकड़ के हस्तलेख में है। जिसके वाई स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी06 डाला गया है।

दौराने जिरह उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि– *मुझे जानकारी नहीं है कि जिस दुकान से हमने शराब बरामद की थी, उसका दुकान का मकान मालिक और*

किरायदार कौन था। स्वंय कहा कि नरेश दताल ने अपने कब्जे में होना बताया था। मुझे ध्यान नहीं है कि सरकारी शराब की दुकान व अस्थाई गोदाम नरेश दताल के नाम पर थी या नहीं। नरेश दताल का फास्ट फूड का होटल इस शराब अस्थाई गोदाम के बगल में था। नरेश दताल की फास्ट फूड की दुकान के अगल–बगल में कितनी दुकान थी इसका मुझे ध्यान नहीं है। नरेश दताल की दुकान के थोड़ी पास पर खोकानुमा दुकान है किस व्यक्ति की है मुझे जानकारी नहीं है। नरेश दत्ताल की फास्ट फूड की दुकान और शराब का अस्थाई गोदाम अस्कोट, धारचूला रोड़ में है। इस रोड़ पर काफी गाड़िया चल रही थी। किसी गाड़ी वाले को रोक कर गवाही के लिए नहीं कहा। जब हम लोग पहुंचे उस समय नरेश दताल अपनी फास्ट फूड की दुकान पर था। हम लोग नरेश दताल की दुकान के पास लगभग डेढ़ घण्टा रूके थे। मुझे जानकारी नहीं है कि बरामद 18 पेटी शराब को सरकारी शराब की दुकान जौलजीबी के अनुज्ञापि वैध कागज दिखाकर अपने पक्ष में अवमुक्त करा चुके हो। मेरे सम्मुख आज नमूना माल या अन्य माल नहीं है इस वजह से मैं आज उसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूँ। अस्थाई गोदाम के मकान मालिक को मौके पर नहीं बुलाया गया था। मेरी जानकारी में नहीं है कि नरेश दताल ने मौके पर बता दिया हो कि अस्थाई गोदाम के मकान का मालिक राजू दताल है। मेरी जानकारी में नहीं है कि मौके पर नरेश दताल ने हम पुलिसगणो को यह बता दिया हो कि दिनांक 25.09.2021 को अनुज्ञापि के द्वारा 30,000/–रू० की धनराशि उपगोदाम के लिए जमा कर दी गयी हो। उस दिन आबकारी निरीक्षक मौके पर नहीं आये थे। मेरी जानकारी में नहीं है कि उपगोदाम में बरामद माल को एफ0एल0–2 गोदाम पिथौरागढ़ से वैध कागजो में लाया गया हो। यह कहना सही है कि नरेश दताल ने हमें मौके पर बता दिया था कि इस जगह पर पूर्व में सरकारी शराब की दुकान थी, अब इस जगह को शराब के उपगोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मुझे जानकारी नहीं है कि सरकारी शराब की दुकान इस जगह से कब जौलजीबी बाजार में स्थानान्तरित की गयी हो। फर्द कागज संख्या–3क/3 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि जहां वर्तमान में शराब का उपगोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वहां कुछ समय पूर्व सरकारी शराब का ठेका चलता था। मुझे जानकारी नहीं है कि सरकारी शराब की दुकान या उपगोदाम का लाईसेंस शराब के अनुज्ञापि के पास होता है या किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है। मुझे ध्यान नहीं है कि उस दिन जनता के कितने लोगो को रोका था। मैंने जनता के किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं पूछा था, दरोगा जी ने पूछा था, कितने लोगो का पूछा था मुझे ध्यान नहीं है। उन लोगो ने अपने नाम पते नहीं बताये थे जिस वजह से हमने उनके नाम पते दर्ज नहीं किये थे और ना ही कोई कार्यवाही उन

जनता के लोगो के विरूद्ध की जो रोकने पर भी नही रूके। हमने यह जानते हुए कि शराब की दुकान और शराब के उपगोदाम के अनुज्ञापि नरेश दताल नहीं है कोई अन्य व्यक्ति है, नरेश दताल से शराब रखने का लाईसेंस मांगा था। शराब के गोदाम में 192 बोतल और 48 अध्धे थे। नरेश दताल के कपड़ो से कुछ नहीं मिला था। मैंने फर्द कागज संख्या–3क/3 पढ़ी थी। फर्द बनाने में कितना समय लगा मुझे ध्यान नहीं है। सफेद कपड़ा एस0ओ0 साहब की गाड़ी में था, कितनी लम्बाई, चौडाई का था मुझे ध्यान नहीं है। कपड़ा सफेद ही था, दुधिया नहीं था, पीलापन था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। जूट की सुतली थी कितनी मोटाई की थी पता नहीं है। हमारे पास रस्सी नहीं थी। मुझे ध्यान नहीं है कि थाना जौलजीबी में वापस किस समय पहुंचे। मुझे नक्शा नजरी के विषय में किसी ने पूछताछ नहीं की। यह कहना गलत है कि मेरे बयान विवेचक के द्वारा ना लिये गये हो। यह कहना गलत है कि मैं मौका घटना स्थल पर ना गया हूँ। नरेश दताल के फास्ट फूट की दुकान से कुछ बरामद नहीं हुआ था। स्वंय कहा कि उसके बराबर में लगे हुए कमरे से बरामद हुआ था। कागज संख्या–4क/16 नक्शा नजरी में नरेश दताल की दुकान और शराब का गोदाम चिपका हुआ नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। नरेश दताल के दुकान के पास में शराब का गोदाम नहीं था। नरेश दताल की दुकान के पीछे की ओर खेड़ा बस्ती भी है, इस बस्ती में सैकडो लोग रहते होंगे। खेड़ा बस्ती से भी दुकान को खुलवाते समय और माल को सील करते समय बस्ती से किसी व्यक्ति को लेकर नहीं आये थे। पुलिस की टीम में चार एस0ओ0 जी0 और तीन थाना जौलजीबी के पुलिसकर्मीगण कुल सात लोग थे। यह कहना गलत है कि थाना जौलजीबी के तीन लोग मौके पर ना हो और बाद में मौके पर बुलवाये गये हो। एस0ओ0जी0 की टीम और थाना जौलजीबी के कर्मचारी एक साथ ही आये थे। सारा माल नमूना मोहर लेकर गत्ते की पेटियो में सील कर दिया गया था। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में सही बाते ना बता रहा हूँ।

(iii) **पी0डब्ल्यू0–3 उप निरीक्षक जावेद हसन द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा सशपथ कथन किया गया है कि**–*दिनांक 02.10.2021 को मैं बतौर उपनिरीक्षक एस0ओ0जी0 शाखा में तैनात था उसी दिन मैं, मेरे साथ का0 मनमोहन भण्डारी, का0 राजकुमार, का0 गोविन्द रौतेला मय सरकारी वाहन से जौलजीबी थाने गये थे तथा जौलजीबी थाने से जौलजीबी थानाध्यक्ष आशोक धनकड़, का0 हरीश सिंह के साथ मय सरकारी वाहन से जौलजीबी थाने से बाहवाले रपट नम्बर–15 समय 12:40 बजे रवाना होकर जौलजीबी बाजार में पहुंचे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जौलजीबी बाजार में गोरी पुल की तरफ जंग स्नैक्स कार्नर के मालिक द्वारा अपनी दुकान में अवैध शराब रखी हुई है, इस सूचना पर यकीन कर*

*हम उपरोक्त सभी पुलिसकर्मगण जंग स्नैक्स कार्नर की दुकान पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा मिला जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नरेश सिंह दताल बताया। उक्त नरेश सिंह दताल की दुकान के बगल में एक बन्द पडी दुकान जो कि नरेश सिंह दताल के कब्जे में ही थी उसको खोलकर दिखाने को कहा गया। उक्त बन्द पड़ी दुकान में पहले शराब का ठेका संचालित था। उक्त बन्द पड़ी दुकान को खोलने पर उसमें शराब की 18 पेटिया रखी हुई थी, जिनपर 8पी0एम0 बरमूण्डा **xxx** रम लिखा हुआ था। उक्त पेटियो को चैक किया गया तो उसमें 16 पेटी जिनके अन्दर कुल 192 बोतल 8पी0एम0 बरमूण्डा **XXX** रम तथा दो पेटियो के अन्दर कुल 48 अध्धे 8पी0एम0 बरमूण्डा **XXX** रम के बरामद हुए। उक्त बरामद शराब के सम्बन्ध में प्रपत्र तलब किये गये तो नरेश दताल द्वारा कोई प्रपत्र नहीं दिखाया गया तथा बताया गया कि इस दुकान में पहले शराब का ठेका चलता था जो कि अब जौलजीबी बाजार सिफ्ट हो गया है। अभियुक्त नरेश सिंह दताल द्वारा उपरोक्त शराब के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र न दिखाने पर उसे समय करीब 13:45 बजे हस्व कायदा हिरासत पुलिस लिया गया तथा उपरोक्त बरामद 18 अवैध शराब की पेटियो में से 16 पेटी बोतल में से 02 बोतल निकालकर तथा अध्धे की पेटी से 04 अध्धे निकालकर एक नारंगी रंग के थैले में रखकर बाहर से सफेद में सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा शेष बचे माल को उन्हीं गत्ते की पेटियो में रखकर सूतली से बांधकर सील सर्वे मोहर किया गया। मौके पर ही फर्द, गिरफतारी मैमो व अन्य दिगर प्रपत्र तैयार किये गये। फर्द पत्रावली में कागज संख्या–3क/3 जो कि थानाध्यक्ष जौलजीबी अशोक धनकड़ के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसके जैड स्थान पर बतौर गवाह मेरे भी हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी02 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/6 गिरफतारी सूचना मैमो जो कि थानाध्यक्ष जौलजीबी अशोक धनकड़ के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसके जैड स्थान पर बतौर गवाह मेरे भी हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी04 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/14 नमूना मोहर माल जो कि थानाध्यक्ष जौलजीबी अशोक धनकड़ के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसके जैड स्थान पर बतौर गवाह मेरे भी हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी05 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या–4क/15 नमूना मोहर, नमूना माल जो कि थानाध्यक्ष जौलजीबी अशोक धनकड़ के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसके जैड स्थान पर बतौर गवाह मेरे भी हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर पूर्व में प्रदर्श–पी06 डाला गया है। विवेचक द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में मेरे बयान अंकित किये गये थे।*

दौराने जिरह उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि– *जिस दुकान से हमने शराब बरामद की थी वह दुकान नरेश सिंह दताल की थी। अस्थाई गोदाम के सम्बन्ध में कोई कागज नहीं दिखाये थे, हमें बताया था कि पहले यहां पर शराब की दुकान थी अब वह जौलजीबी बाजार में चली गयी है। मुझे नहीं पता कि दुकान जहां से हमने शराब बरामद की थी वहां से शराब की दुकान दो–तीन पूर्व ही जौलजीबी बाजार को सिफ्ट हुई हो। मुझे जानकारी नहीं है कि बरामद 18 पेटी शराब को सरकारी शराब की दुकान जौलजीबी के अनुज्ञापि वैध कागज दिखाकर अपने पक्ष में अवमुक्त करा चुके हो। यह कहना गलत है कि जिस दुकान से हमने शराब बरामद की हो उस दुकान का मालिक राजू दताल हो। स्वंय कहा कि नरेश दताल ने बताया था कि यह दुकान उसकी है। नरेश दताल ने हम पुलिस वालो को यह बात नहीं बतायी थी कि 25.09.2021 को सरकारी शराब की दुकान के अनुज्ञापि के द्वारा तीस हजार रूपये की धनराशि उप गोदाम के लिए जमा कर दी गयी हो। नरेश दताल ने हमे यह भी नहीं बताया था कि शराब बरामद होने वाली दुकान अनुज्ञापि का उपगोदाम हो। मुझे नहीं पता लगा कि दुकान से बरामद शराब एफ0एल0टू0 गोदाम पिथौरागढ़ से वैध कागजो में लाया गया हो। स्वंय कहा कि अगर इस बात की जानकारी हुई होगी तो विवेचक को बाद में हुई होगी। हमने फर्द कागज संख्या–3क/3 में इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि जिस दुकान से हमने माल बरामद किया है वह शराब का उपगोदाम हो। यह कहना सही है कि शराब की दुकान या उपगोदाम का लाईसेंस अनुज्ञापि के पास होता है। यह कहना गलत है कि मैं घटना के दिन शराब बरामद वाली दुकान में न गया हूँ। नरेश दताल की दुकान और बरामद शराब वाली दुकान एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, आसपास है। मैं दोनो दुकानो के बीच की दूरी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक ही लेंटर के अन्दर है। मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी नहीं बनी थी और न ही नक्शा नजरी बनते वक्त मैं मौके पर था। हमारे द्वारा शराब की दुकान की तलाशी लेने से पूर्व किसी मजिस्ट्रेट से तलाशी का कोई वारण्ट नहीं लिया गया था। हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट से तलाशी का वारण्ट न लेने के सम्बन्ध में जी0डी0 में भी उल्लेख नहीं किया गया था।*

(iv) **पी0डब्ल्यू0–4 तनकी परीक्षण कर्ता जगत सिंह द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा सशपथ कथन किया गया है कि–** *मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नमूना माल एक सफेद पुलिन्दे में सील सर्वे मोहर मेरे समक्ष दिनांक 27.11.2021 को पुलिस विभाग के कांस्टेबल विनोद कुमार द्वारा लाया गया था। उक्त पुलिन्दे को खोलने पर उसमें 02 बोतल व 04*

*अध्धे अग्रेंजी शराब मार्का 8पी0एम0 बरमूण्डा **XXX** रम की थी। उक्त द्रव्य से भरे बोतल व पव्वे का मेरे द्वारा उसी दिन तनकी परीक्षण किया गया। तनकी परीक्षण करने के उपरान्त उक्त द्रव्य का रंग कैरमल गंध एल्कोहॉलिक, बनावट तरल में है, जिसको नीले लिटमस पेपर पर स्पर्श कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उक्त द्रव्य का एल्कोहॉलिक मी0मी0 से जांच करने पर तापमान 17.5 डिग्री से0सी0 संकेत 43.90, तीव्रता 42.8 प्रतिशत **V/V** पाया गया। उक्त द्रव्य का भौतिक व रासायनिक परीक्षण करने के उपरान्त व बोतलो व अध्धो में लगे लेबलो के आधार पर उक्त द्रव्य का आश्वानी निर्मित अंग्रेजी शराब होना पाया गया। उक्त नमूना माल को पुनः सील सर्वे मोहर कर का0 विनोद कुमार थाना जौलजीबी के सुपुर्द किया गया। तनकी परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में कागज संख्या–4क/18 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा ए स्थान पर मेरे हस्ताक्षर व मेरे कार्यालय मोहर लगी हुई है। मैं अपने हस्तलेख, हस्ताक्षर व मोहर की शिनाख्त करता हूॅ। जिसपर प्रदर्श–पी07 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4क/19 नमूना मोहर में मेरी नमूना सील ए स्थान पर है तथा ए1 स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त नमूना सील मेरे द्वारा तनकी परीक्षण करने के उपरान्त नमूने के तौर पर लगायी गयी थी।*

दौराने जिरह उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि– *यह कहना सही है कि मैंने जांच रिपोर्ट कागज संख्या–4क/18 में बोतलो में लगे हुए लेबल का अंकन नहीं किया है और बोतले कांच की थी या प्लास्टिक की यह भी नहीं लिखा गया है। मैंने जिस दिन माल आया था उसी दिन माल का परीक्षण किया था। यह कहना सही है कि जो बोतले व अध्धे मेरे पास आये थे उनकी ढक्कनो की सील मैंने अपने कार्यालय में खोली थी। यह कहना गलत है कि बोतले व अध्धे जो मेरे पास परीक्षण के लिए आयी थी उन्हें पुलिन्दो की सील टूटी हुई है। एक ही संकेत और तीव्रता के अन्य द्रव्य भी होते है। अन्य द्रव्यो के संकेत 43.90, तीव्रता 42.8 प्रतिशत **V/V** भी होती है। यह कहना सही है कि बोतलो और अध्धो के लेबल में क्या अंकित था यह मैंने अपनी जांच रिपोर्ट में नहीं लिखा है। यह कहना गलत है कि मैंने रिपोर्ट दबाव में बनायी हो।*

(v) **पी0डब्ल्यू0–5 अर्जुन सिंह द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा सशपथ कथन किया गया है कि–** *दिनांक 02.10.2021 को मुकदमा अपराध संख्या–08/2021 अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम बनाम नरेश सिंह दताल की विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द हुई। उसी दिन मेरे द्वारा नकल फर्द बरामदगी, अवलोकन नकल चिक, नकल रपट, गिरफतारी मैमो, सूचना मैमो, मूचलका जमानतनामा किया गया। दिनांक 13.10.2021 को मुकदमा*

उपरोक्त में बयान वादी तत्कालीन कोतवाल अशोक धनकड़ कोतवाली जौलजीबी, बयान फर्द गवाह का0 हरीश सिंह, बयान चालक का0 मोहन पाण्डेय, बयान एस0ओ0जी0 प्रभारी उपनिरीक्षक जावेद हसन, बयान फर्द गवाह का0 मनमोहन भण्डारी, बयान फर्द गवाह गोविन्द रौतेला, का0 राज कुमार अंकित कर सी0डी0 किता किये गये। दिनांक 16.10.2021 को का0 हरीश सिंह की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया जो कि पत्रावली में कागज संख्या–4क/16 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसके जैड स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–पी08/पी0डब्ल्यू0–05 अंकित किया गया तथा उसी दिन बयान समायी साक्ष्य खुशाल सिंह सी0डी0 किता किये गये। दिनांक 14.12.2021 को मुकदमा उपरोक्त में नमूना माल की तनकी परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसी नकल सी0डी0 में की गयी तथा उसी दिन बयान तनकी वाहक का0 विनोद कुमार तथा बयान तनकीकर्ता आबकारी निरीक्षण जगत सिंह रावत के बयान अंकित कर सी0डी0 किता किये गये तथा उसी दिन तमामी विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त नरेश सिंह दताल की संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्त नरेश सिंह दताल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–6/2021 अन्तर्गत धारा–संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम मान्नीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली में कागज संख्या–4क/2 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसके जैड स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर प्रदर्श–पी09/पी0डब्ल्यू0–05 अंकित किया गया। पत्रावली में कागज संख्या–4क/17 मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नमूना माल को तनकी परीक्षण हेतु भेजे जाने मान्नीय न्यायालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र है, जिसके जैड स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर प्रदर्श–पी10/पी0डब्ल्यू0–05 अंकित किया गया।

दौराने जिरह उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि– *यह कहना सही है कि मुझे अपनी विवेचना में यह बात पता लग गयी थी कि घटना के दिन घटना स्थल पर तथाकथित माल बरामद होने के समय हुई कार्यवाही में किसी मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया था। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर कार्यवाही के समय किसी मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाने का उल्लेख भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारियो द्वारा नहीं किया गया था।*

प्रश्नः– *क्या माल मुकदमाती से संबंधित माल आज आपके सम्मुख न्यायालय में है?*

उत्तर– *संबंधित माल जौलजीबी थाने में रखा हुआ है।*

मैंने जौलजीबी थाने में यह माल देखा था। मुझे इस बात की जानकारी अपनी विवेचना में नहीं हुई कि उपरोक्त माल को शराब की दुकान का मालिक वैध कागज दिखाकर अपने पक्ष में न्यायालय से अवमुक्त करा चुका हो। मैंने आबकारी निरीक्षक के बयान लिये थे। मुझे पता लग गयी थी कि आबकारी निरीक्षक के पास तनकी परीक्षण हेतु पहुंचे हुए बोतल की सील आबकारी निरीक्षक ने खोली थी। यह बाते मैंने अपनी विवेचना में लिखी है। मुझे सी0डी0 पर्चा देखकर भी यह पता नहीं चल रहा है कि यह बाते मैंने लिखी थी या नहीं। मैंने नक्शा नजरी में तस्दीककर्ता के हस्ताक्षर कराये थे। मेरे द्वारा एक ही नक्शा नजरी बनाया गया था। गवाह को पत्रावली में कागज संख्या–4क/16 दिखाया गया। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही नक्शा नजरी है जो मेरे द्वारा बनाया गया था, इसमें तस्दीक. कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि नक्शा नजरी कागज संख्या–4क/16 मेरे द्वारा थाने में बैठकर बनाया गया हो। यह कहना सही है कि नरेश दत्ताल की दुकान के आसपास अन्य दुकाने व होटल है। मुझे अपनी विवेचना में यह पता लग गया था कि नरेश दताल उस दुकान का मकान मालिक नहीं है जिस मकान से माल बरामद हुआ था। स्वंय कहा कि नरेश दताल ने बताया था कि यह गोदाम है। मेरे द्वारा सरकारी शराब की दुकान जौलजीबी के अनुज्ञापि से इस वाद के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की थी। जहां पर माल बरामद हुआ वह सरकारी शराब की दुकान नहीं थी, बरामद माल अन्दर वाले कमरे से बरामद हुआ था। मैंने इस केस से पहले दो–तीन विवेचनाए और की थी। मुझे इस बात की जानकारी अपनी विवेचना में हुई थी कि जहां से पुलिस ने माल बरामद किया था वहां पर कोई नहीं था, वहां पर ताला लगा हुआ था। मुझे अपनी विवेचना में इस बात की जानकारी नहीं हुई कि नरेश सिंह दताल को उसके घर/दुकान से बुलाया गया था। मैंने नक्शा नजरी में ए से एफ तक के अंकन में यह लिखा है कि वह क्या है। मैंने नक्शा नजरी में ए से एफ तक के अंकन में यह लिखा है कि वह क्या है। मैंने नक्शा कागज संख्या–4क/16 में बरामदगी स्थल नहीं लिखा हुआ है, शराब का गोदाम लिखा हुआ है। कागज संख्या–4क/16 में बी संकेतक नरेश सिंह दताल का रेंस्टोरेंट है। बी संकेतक से कोई शराब बरामद नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मुझे अपनी विवेचना में इस बात की जानकारी हो गयी थी कि कागज संख्या–4क/16 में संकेतक ए शराब का गोदाम जौलजीबी सरकारी शराब की दुकान के अनुज्ञापि का है। मैं जितना जानता था उतनी मैंने अपनी विवेचना की थी। यह कहना गलत है कि मैंने अपने उच्चाधिकारियो के दबाव में गलत आदमी को मुल्जिम बनाया हो। मुझे अपनी विवेचना में आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट मिल गयी थी।

(13) प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी0 डब्ल्यू0 05 अर्जुन सिंह जो मामले में विवेचक है के द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया गया कि मैंने नक्शा नजरी में तस्दीक कर्ता के हस्ताक्षर कराये थे। मेरे द्वारा एक ही नक्शा नजरी बनाया गया था। गवाह को दौराने प्रतिपरीक्षा पत्रावली में कागज संख्या 4क/16 दिखाया गया। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही नक्शा नजरी जो मेरे द्वारा बनाया गया था, इसमें तस्दीक कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0 05 द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा भिन्न भिन्न कथन किये गये है।

(14) इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षीगणो द्वारा घटना स्थल पर पब्लिक के लोग होना स्वीकार किया गया है, किन्तु मामले में एक भी स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं कराया गया है।

(15) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नक्शा नजरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को जिस स्थान से गिरफतार किये जाने का कथन किया है वह मुख्य मार्ग है, किंतु अभियोजन द्वारा मामले में एक भी चश्मदीद या स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया है।

इस सन्दर्भ में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हेमराज व अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2005) 10एस0सी0सी0 614** के न्याय निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि ***"Non Examination of the independent witness, though available and no explanation for such non examination having been offered is a serious infirmity in a prosecution case"***

इसके अतिरिक्त **कनकराजन बनाम केरल राज्य (2017) 13एस0सी0सी0 597** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि– ***"स्वतंत्र साक्षीगण का परीक्षित न कराया जाना अभियोजन के लिए कब अत्यधिक घातक हो सकता है जबकि घटना स्थल के आसपास कई दुकान व मकान स्थित थे तथा काफी संख्या में लोग मौजूद थे।"***

(16) मामले में अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 अर्जुन सिंह द्वारा दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया गया कि– दिनांक 16.10.2021 को कॉ0 हरीश सिंह की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया जो कि पत्रावली मे कागज संख्या 4क/16 के रूप में संलग्न है, किन्तु पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4क/16 में एसआई अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 13.10.2021 की तिथि अंकित

है। इस प्रकार यह तथ्य साबित होता है कि उक्त नक्शा नजरी दिनांक 16.10.2021 को तैयार ना कर के दिनांक 13.10.2021 को बनाया गया है।

(17) इसके अतिरिक्त उक्त गवाह द्वारा नक्शा नजरी 4क/16 कॉ0 हरीश सिंह की निशानदेही पर बनाये जाने का कथन किया गया है, किन्तु अभियोजन द्वारा हरीश सिंह नामक फर्द गवाह को मामले में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा ना ही कागज संख्या 4क/16 नक्शा नजरी में उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर है।

(18) वर्तमान मामले में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्त की तलाशी हेतु तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया गया था। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि बरामदगी आकस्मिक थी। अतः ऐसे में तलाशी वारण्ट प्राप्त करना सम्भव नहीं था। अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–03 एसआई जावेद हसन** को परीक्षित कराया गया जिसके द्वारा दौराने जिरह कथन किया गया है कि–***हमारे द्वारा शराब की दुकान की तलाशी लेने से पूर्व किसी मजिस्ट्रेट से तलाशी का कोई वारण्ट नहीं लिया गया था। हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट से तलाशी का कोई वारण्ट न लेने के सम्बन्ध मे जीडी में भी उल्लेख नहीं किया गया था।***

इस स्तर पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की **धारा–52 व 53** का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है–

धारा–52 <u>तलाशी का वारण्ट जारी करने की कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की शक्ति–</u>

"यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर या मजिस्ट्रेट कोई यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा–60, 60क, 62 या 63 या 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है या किये जाने की सम्भावना है तो वह किसी ऐसी मादक वस्तु, सामान, भभकी, बर्तन, औजार या उपकरणो की तलाशी के लिए वारण्ट जारी कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में अभिकथित अपराध किया गया हो या किये जाने की सम्भावना हो। "

<u>धारा–53 बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कलेक्टर या आबकारी विभाग के अधिकारी की शक्ति–</u>

(1) ***"जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी को जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं हो जिसे (राज्य सरकार) विहित करे या ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा "थाने के भारसाधक अधिकारी" शब्दो के जो पंक्ति में (उपनिरीक्षक) से निम्न पंक्ति का नहीं हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि (धारा 60, धारा 60क) धारा 61, धारा***

62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध) किसी स्थान में किया गया है, किया जा रहा है, या किये जाने की सम्भावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी का वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय, दिन अथवा रात्रि में, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर से भिन्न (कोई अधिकारी) जो इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करे, ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पूर्व यथा–पूर्वोक्त अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा। "

(19) उपरोक्त प्रावधानो के अवलोकन से विदित है कि यदि पूर्व सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा धारा–60 के अधीन अपराध कारित किये जाने की सम्भावना दर्शित होती है तो ऐसे में उक्त विषय वस्तु की तलाशी हेतु धारा–52 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानो के दृष्टिगत तलाशी वारण्ट कलेक्टर अथवा मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परंतु यदि कलैक्टर से भिन्न यदि किसी अधिकारी को यह विश्वास है कि किसी व्यक्ति द्वारा धारा–60 के अधीन अपराध कारित किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह अधिकारी उक्त तलाशी से पूर्व ऐसे वारण्ट को ना लिये जाने के सम्बन्ध में धारा–53 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के दृष्टिगत अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा तलाशी का वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सका।

(20) प्रस्तुत मामले में अभियोजन का यह तर्क है कि बरामदगी आकस्मिक थी जिस कारण वारण्ट लिया जाना सम्भव नहीं था, परंतु धारा–53 आकस्मिक बरामदगी होने के सम्बन्ध में ही तलाशी वारण्ट ना लिये जाने के कारणो को कारणबद्ध करने हेतु संबंधित अधिकारी को आबद्ध करता है। इस सम्बन्ध में मान्नीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय **जगदीश केवत व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 1987(2) ए0डब्ल्यू0सी0 1229 इलाहाबाद 185** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि–

Bare reading of S. 52 of the Act indicates that whenever an information is received by any Police Officer or an Officer of the Excise Department that an offence punishable under S. 60 of the Act is likely to be committed he must approach the Collector or the Magistrate to issue a search warrant S. 53 provides that after the receipt of the information that offence under S. 60 is being

committed, search can be made without search warrant if the offence is likely to be committed in any place, and if the efforts are made to obtain search warrant that may provide an opportunity to the offender to escape or to conceal the evidence of the offence. Further there is proviso that even if, the search is made by the police officer or an officer of the Excise Department without obtaining search warrant in that event he shall record the grounds of his belief to the effect that in case he would have made efforts to obtain the search warrant, the accused would have got opportunity to escape or to conceal evidence of the offence. By reading Ss. 52 and 53 together it is manifest that procedure under S. 53 of the Act is mandatory and in case search warrant has not been obtained under the belief that could have provided an opportunity to the offender to escape or conceal the evidence of the offence, in that event it is imperative upon the officer conducting the search that he must record grounds of his belief. The intention of the Legislature has been made manifest with use of the words, 'record grounds of his belief'. Not only 'belief' but 'grounds of his belief' also have to be recorded. In case this procedure has not been followed the search carried out or the recovery made becomes contrary to the provisions of S. 53 of the Act.

उपरोक्त न्याय निर्णय के अवलोकन से भी विदित है कि जब भी संबंधित अधिकारी को धारा–60 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जा रहा हो या किये जाने की सम्भावना होने की सूचना प्राप्त होती है तथा संबंधित अधिकारी का यह मत है कि यदि तलाशी से पूर्व तलाशी वारण्ट प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो ऐसे में संदिग्ध व्यक्ति के भागने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की सम्भावना है। ऐसी परिस्थिति में उक्त संबंधित अधिकारी द्वारा तलाशी वारण्ट ना प्राप्त करने के अपने कारणो को अभिलिखित किया जायेगा। धारा–52 तथा 53 में प्रावधानित प्रक्रिया अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी को मात्र विश्वास के आधार पर नहीं परंतु वह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि किन कारणो पर आधारित है उन सभी कारणो को अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।

(21) इसके अतिरिक्त इस संबंध में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी न्याय निर्णय **K. L. Subbayya vs State Of Karnataka on 24 January, 1979** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि

Section 53 relates to a contingency where the Statute enjoins that any inspector before searching a place must obtain a warrant from the magistrate. Section 54 is a special provision which arises in urgent cases where it may not be possible for the officer concerned to get a warrant from the Magistrate. In the instant case, it is admitted that the inspector who searched the car of the appellant had not made any record of any ground on the basis 1133 of which he had a reasonable belief that an offence under the Act, was being committed before proceeding to search the car and thus the provisions of section 54 were not at all complied with. This, therefore, renders the entire search without jurisdiction and as a logical corollary, vitiates the conviction. We feel that both sections 53 and 54 contain valuable safeguards for the liberty of the citizen in order to protect them from ill-founded or frivolous prosecution or harassment.

(22) प्रस्तुत मामले में पुलिस अधिकारियों की टीम द्वारा अभियुक्त की तलाशी हेतु ना तो धारा–52 के अन्तर्गत तलाशी वारण्ट प्राप्त किया गया तथा ना ही धारा–53 के अन्तर्गत वारण्ट ना लिये जाने के कारणो को अभिलिखित किया गया।

(23) इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0–1973 में मामले को झूठा बताते हुए विचारण की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में दं0प्र0सं0–1973 की धारा–313 की उपधारा–4 उपबन्धित करती है कि–''*अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त कथनों पर उस जॉच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जॉच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरूद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है।''* इस प्रकार उपरोक्त वर्णित उपबन्ध के प्रभाव से अभियुक्त द्वारा धारा–313 में दिये गये बयान विचारण में लिये जा सकते हैं, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि मेरी दुकान के बगल में शराब की दुकान थी। जो वहां से जौलजीबी स्थानांतरित हो गयी थी। उक्त दुकान के लाइसेंसधारी कुवंर सिंह अन्ना थे। दुकान स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने उक्त दुकान को उप गोदाम के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। घटना के दिन उक्त लाइसेंसधारी अपने उप गोदाम की चाबी मुझे सौप कर गये थे। मेरा मुकदमे से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।

(24) (i) ***दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के तब तक निर्दोष होने की उपधारण की जाएगी जब तक कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित न हो जाएं।***

(ii) ***इसके अतिरिक्त दाण्डिक विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे (Beyond reasonable doubt) साबित करना होता है।***

(25) प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रो के सम्यक अवलोकन के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन का दायित्व था, कि वह यह साबित करें कि अभियुक्त **नरेश सिंह दताल** द्वारा **धारा– 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है किंतु प्रस्तुत मामले में अभियोजन उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त **नरेश सिंह दताल** संदेह का लाभ पाते हुए **धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

(26) (i) अभियुक्त नरेश सिंह दताल को धारा–60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड आबकारी संशोधन अधिनियम), 2019 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 के अनुपालन में बंध पत्र प्रस्तुत।

(iv) माल मुकदमाती, यदि कोई हों, अपील अवधि के उपरान्त तथा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार व्ययनित किया जाए।

दिनांक–23.06.2026

(गुलिस्तां अंजुम)
जे.एम./सिविल जज(जू0डि0),
डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।

आज दिनांक–23.06.2026 को यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

इस निर्णय को अविलम्ब NJDG पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

दिनांक–23.06.2026

(गुलिस्तां अंजुम)
जे.एम./सिविल जज(जू0डि0),
डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।

Appendix of Evidence (साक्ष्य का परिशिष्ट)

List of presention/defence/court witnesses
Anexure- 1

ए– अभियोजन साक्षी

रैंक	नाम	साक्षी का प्रकार
पी0डब्ल्यू0–01	निरीक्षक अशोक धनकड़	वादी
पी0डब्ल्यू0–02	कॉ0 07 ए0पी0 गोविन्द रौतेला	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू0–03	उप निरीक्षक जावेद हसन	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू0–04	जगत सिंह	तनकी परीक्षणकर्ता
पी0डब्ल्यू0–05	अर्जुन सिंह	विवेचक

बी– बचाव साक्षी (यदि कोई हो)

रैंक	नाम	साक्षी का प्रकार
–	–	–

सी– न्यायालय साक्षी (यदि कोई हो)

रैंक	नाम	साक्षी का प्रकार
–	–	–

दिनांक–23.06.2026

(गुलिस्तां अंजुम)
जे.एम./सिविल जज(जू0डि0)
डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।

Anexure- 2

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श का विवरण

ए– अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–पी0 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श–पी0 2	फर्द बरामदगी
03	प्रदर्श–पी0 3	नकल रपट
04	प्रदर्श–पी0 4	गिरफतारी मैमो
05	प्रदर्श–पी0 5	नमूना मोहर
06	प्रदर्श–पी0 6	नमूना मोहर
07	प्रदर्श–पी0 7	जांच रिपोर्ट
08	प्रदर्श–पी0 8	नक्शा नजरी
09	प्रदर्श–पी0 9	आरोप पत्र
10	प्रदर्श–पी0 10	रिपोर्ट कोतवाली जौलजीबी

बी– बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

सी– न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

डी– वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
1	एम0ओ0 01	नमूना माल

दिनांक–23.06.2026

(गुलिस्तां अंजुम)
जे.एम./सिविल जज(जू0डि0)
डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।